FORM- A

जिला– दरभंगा।

न्यायालयः–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम,
बिरौल।

पीठासीन पदाधिकारीः–विजय कुमार मिश्रा,
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम,
बिरौल।

निर्णय की तिथिः– 17 अगस्त, 2026

सी0 आर0(परिवाद) संख्या–38/2018
सी0आई0एस0 संख्या–38/2018

धारा 341, 323, 386, 379, 380, 427, 354, 504 एवं 506/34 भा.द.वि.
संज्ञान अंतर्गत धाराः–323 एवं 379 भा.द.वि.

आरोप गठन अंतर्गत धाराः– 323 एवं 379 भा.द.वि.

परिवादी	द्वारा वीणा देवी
अभियुक्त	1. शत्रुधन चौधरी पिता–स्व0 योगी चौधरी, उम्र–52 वर्ष। 2. हेमो देवी पति शत्रुधन चौधरी, उम्र–43 वर्ष। 3. रौशन चौधरी पिता शत्रुधन चौधरी, उम्र–28 वर्ष। 4. चन्दन चौधरी पिता शत्रुधन चौधरी, उम्र–26 वर्ष। 5. अनिल चौधरी पिता शत्रुधन चौधरी, उम्र–24 वर्ष। सभी साकिन–परसरमा, थाना–बिरौल, जिला–दरभंगा।
परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री जितेन्द्र मिश्रा
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री शशि कान्त राय

FORM- B

परिवाद पत्र की तिथि	21.02.2018
संज्ञान की तिथि	10.09.2018
आरोप गठन की तिथि	19.03.2020
परिवादी का आरोप पश्चात् साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	18.05.2020
बयान की तिथि	12.02.2024

निर्णय पर नियत करने की तिथि	
निर्णय की तिथि	17.08.2026
सजा के बिन्दु पर सुनवाई, यदि है।	

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत की तिथि	आरोपित धारा	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	अधिरोपित सजा	धारा 428 दं. प्र.सं. के तहत परीक्षण के दौरान हिरासत में रहने की अवधि
ए– 01	शत्रुधन चौधरी	–	–	323, 379 भा.द.वि.	दोषसिद्ध		
ए– 02	हेमो देवी	–	–	323, 379 भा.द.वि.	दोषसिद्ध		
ए– 03	रौशन चौधरी	–	–	323, 379 भा.द.वि.	दोषसिद्ध		
ए– 04	चंदन चौधरी	–	–	323, 379 भा.द.वि.	दोषसिद्ध		
ए– 05	अनिल चौधरी	–	–	323, 379 भा.द.वि.	दोषसिद्ध		

Form- C

परिवादनी/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क. परिवादी

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
साक्षी संख्या 1	उदयचंद चौधरी	अन्य साक्षी
साक्षी संख्या 2	वीणा देवी	परिवादी साक्षी
साक्षी संख्या 3	सुरेश चौधरी	अन्य साक्षी

ख. बचाव पक्ष

बचाव पक्ष का साक्षी संख्या– कोई नहीं

ग. न्यायालय साक्षी

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

परिवादनी/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची

क. परिवादी

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

ख. बचाव पक्ष

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

ग. न्यायालय द्वारा प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

घ. वस्तु प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

निर्णय

1. इस वाद में उपरोक्त नामित अभियुक्त शत्रुधन चौधरी, हेमो देवी, रौशन चौधरी, चंदन चौधरी एवं अनिल चौधरी का विचारण भा0द0वि0 की धारा 323 एवं 379 के अंतर्गत किया गया।

2. परिवाद कथानक परिवादी वीणा देवी के टंकित आवेदन के आधार संक्षेप में यह है कि परिवादी अपने खेत से राई का बोझा लेकर घर आ रही थी। मुदालहगण, परिवादी के जमीन में ईंट जमा कर रहा था। परिवादी मना किया, तो मुदालहगण, परिवादी को भद्दी–भद्दी गाली दिया तब परिवादी बोली कि इसी जमीन पर तुम 144 किया और तुमलोग मुकदमा हार गया तब मुदालह सं0 1 बोला कि जान की खैर चाहती हो, तो चली जाओ अन्यथा मारकर बर्बाद कर देंगे। परिवादी भागकर घर आ गई तब मुदालहगण हरवे–हथियार से लैश होकर परिवादी के घर आया और परिवादी को घर से खींचकर मारपीट किया। परिवादी जख्मी हो गया। मुदालहगण, परिवादी को कपड़ा फाड़ दिया तब जोर–जोर से चिल्लाई, परिवादी को बचाने इनके पति आया, तो उसे भी सभी मुदालहगण मिलकर मारपीट किया और जख्मी होकर गिर गया, तो मुदालहगण, परिवादी के घर में घ ुसकर तोड़फोड़ किया तथा मुदालह नं0 1 परिवादी के पति से एक कागज पर जबदस्ती अंगुठा का निशान मुदालह सं0 1 से 3 ले लिया। मुदालह सं0 4 परिवादी के पति के जेब से 100/– रुपया निकाल लिया। मुदालहगण जाते वक्त 20 किलो चना व 20 किलो राई की बोरिया लेकर चला गया। परिवादी का ईलाज राजकीय अस्पताल बिरौल में हुआ, ईलाज कराकर थाना आया। थाना प्रभारी मुकदमा नहीं लिया। घटना का कारण है कि मुदालह अन्दर धारा 144 की कार्रवाई अनुमंडल दण्डाधिकारी के न्यायालय में किया था, मुदालहगण हार गया। उसी समय से मुदालहगण, परिवादी का पीछा करता आ रहा है, वाद सं0 507/2008 है।

3. परिवादी के उक्त टंकित आवेदन के आधार पर परिवाद संख्या–38/2018, दिनांक–21.02.2018 उपरोक्त पॉचों अभियुक्तण के विरूद्ध धारा 341, 323, 386, 379, 380, 427, 354, 504 एवं 506 भा.द.वि. के अंतर्गत दर्ज किया गया। विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम द्वारा दिनांक 10.09.2018 को उपरोक्त पांचों अभियुक्तगण के विरूद्ध

धारा 323, एवं 379 भा.द.वि. के अंतर्गत मामले का संज्ञान लिया गया तथा वाद विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा गया।

4. उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 19.03.2020 को धारा 323 एवं 379 भा.द.वि. के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया जिसे अभियुक्तों को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे सुनकर एवं समझकर अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार किया और वाद विचारण का दावा किया।

5. दिनांक 12.02.2024 को अभियुक्तगण को धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत बयान अंकित किया गया जिसमें उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया।

6. मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या परिवादी अपने मामले को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

मन्तव्य

7. परिवादी के द्वारा अपने मामले के समर्थन में तीन परिवादी साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराया गया। परिवादी साक्षी सं0 1 उदयचंद्र चौधरी, परिवादी साक्षी सं0 2 वीणा देवी (परिवादी) एवं परिवादी साक्षी सं0 3 सुरेश चौधरी है। जबकि इस वाद में दिनांक 19.03.2020 को उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप का गठन किया गया। परिवादी की ओर से तीन साक्षियों का साक्ष्य आरोप पूर्व एवं पश्चात् साक्ष्य कराया गया तत्पश्चात् दिनांक 03.10.2023 को आरोप पश्चात् साक्ष्य बंद कर दिया गया तथा अभियुक्तों का बयान धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत लिया गया। परिवादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। बचाव पक्ष के ओर से भी कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गया।

8. **परिवादी साक्षी सं0 1 सुरेश चौधरी** जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया कि केस शत्रुधन चौधरी, हेमो चौधरी, अनिल चौधरी, चंदन चौधरी पर किया है। घटना एक वर्ष पूर्व दिन 12 बजे की है, वीणा देवी तोड़ी लेकर आ रही थी और मुदालहगण मेरे जमीन पर ईंट रख रहा था, वीणा देवी मना किया, तो उसके मारपीट किया। कपड़ा फाड़ दिया और शत्रोहन और चंदन मेरे अंगुठे का निशान सादा कागज पर ले लिया। मेरे जेब से 100 रुपया चंदन निकाल लिया। 20 किलो तोड़ी हेमो देवी ले गया। 20 किलो चना अनिल चौधरी ले गया। **साक्षी ने आरोप पूर्व प्रतिपरीक्षण** में साक्ष्य दिया है कि मुझे नहीं पता है कि इस केस के मुदालह ने मुझ पर बिरौल थाना कांड संख्या 54/18 पहले कर रखा है। मैंने बिरौल थाना कांड संख्या 54/18 में बेल करवाया है। **साक्षी ने आरोप पश्चात प्रतिपरीक्षण** में साक्ष्य दिया है कि मेरे परिवार में मैं और मेरी पत्नी वीणा देवी है। मेरा जन्म तिथि का तिथि एवं महीना याद नहीं है, वर्ष 1956 है। मुदालह से पहले 44 का एक मुकदमा खत्म हो चुका है। मैंने एक टाईटल सूट किया है जो चल रहा है और यह आपराधिक मुकदमा है।

मुदालह लोगों ने भी हमलोगों पर मुकदमा किया है, उस केस का नम्बर याद नहीं है। दोनों पक्षों के बीच जमीन का विवाद है। मुझे इस मुदालह को छोड़कर गांव में किसी अन्य से कोई झगड़ा नहीं है। कथित घटना का 21 तारीख 2018 को 12 बजे दिन में हुआ था। घ टना दिनांक को मुझे 8 बजे सुबह से 2 बजे दिन तक मुझे अपने परिवार के लोगों के अलावे किसी से भेट–मुलाकात नहीं हुई। कथित घटनास्थल की चौहद्दी मुझे नहीं मालूम है। मेरा घर आंगन चारों तरफ से घेरा हुआ है। कौन मुदालह कितना लप्पड़–थप्पड़ मारा, मैं नहीं बता सकता। कथित घटना स्थल पर हल्ला सुनने के 5 मिनट बाद पहुंचा। मुदालह लोग मारपीट कर निकल गया।

9. परिवादी साक्षी सं0 2 वीणा देवी (परिवादी) जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया कि यह केस मैंने किया शत्रोहन चौधरी हेमो देवी, रौशन चौधरी, चंदन चौधरी, अंनिल चौधरी पर किया है। घटना एक वर्ष डेढ माह पूर्व दिन एक बजे की है। मैं राई का बोझा लेकर आ रही थी, तो देखी मुदालह मेरे जमीन पर ईंट रख रहा था। मैं मना की, तो वो मारपीट करने लगा। मैं भागकर घर चली गई वो भी पीछे से आ गये और वहॉ भी मारपीट करने लगे। मेरे पति बचाने आये, तो उसके साथ भी मारपीट किये। मेरे कपड़ा फाड़ दिया। शत्रोहन चौधरी और हेमो देवी मेरे पति के अंगुठा का निशान सादा कागज पर ले लिया। चंदन चौधरी पति के जेब से एक सौ रुपया ले लिया। हेमो देवी एक बोड़ी राई, उठा ली। अनिल चौधरी 40 किलो चना ले गया। ईलाज अस्पताल में करवाई थी। **साक्षी ने आरोप पूर्व प्रतिपरीक्षण** में साक्ष्य दिया है कि मुदालह सुरेश चौधरी के साथ जमीन संबंधी विवाद है। मारपीट से बेहोश नहीं हुई थी। मुदालह के साथ जमीनी विवाद है। कथित घटना की तारीख, महीना, साल नहीं बता सकते है। शत्रुधन चौधरी, रौशन चौधरी, हेमो देवी, चंदन चौधरी, अनिल चौधरी ने मिलकर मारा। कौन कितना थप्पड़ मारा, मैं नहीं गिन सकी। मारपीट से मैं बेहोश नहीं हुई थी। मेरे पति 2–3 मिनट के बाद आये। सादा कागज पर मेरा अंगुठा का निशान शत्रुधन चौधरी और रौशन चौधरी ने लिया था। चंदन चौधरी ने 100 रुपया ले लिया। मुझे किसी ने नहीं बताया। मैंने पैसा लेते देखा। रुपया कुर्ता के उपरी जेब में था। कुर्ता काला रंग का था। कुर्ता नहीं फटा था। चना बोरी में रखा हुआ था। बोरी पीला रंग का पलास्टिक का था। रैची सफेद प्लास्टिक के बोरा में था। विवादित जमीन का खाता, खेसरा रकवा, चौहद्दी नहीं बता सकते। तोड़ी अनिल चौधरी और रौशन चौधरी ले गया। केश घटना के दिन ही मैंने की थी।

10. परिवादी साक्षी सं0 3 उदयचंद्र चौधरी है जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया कि यह केस वीणा देवी ने शत्रुधन चौधरी ने हेमो देवी, रौशन चौधरी, चंदन चौधरी के विरूद्ध किया हैं यह घटना डेढ साल पहले 12 बजे दिन की है। मैंने देखा की सुरेश चौधरी को किसी जमीन में धारा 144 की डिक्री हुआ, तो शत्रुधन चौधरी और हेमो चौधरी ईंट चौक

रहा था और ऐसा करने से रोका, तो इसी कारण मारपीट हुआ। वीणा देवी को खदेड़कर घर तक ले गया। सुरेश चौधरी बचाने के लिए आये तो उसे भी मारा। वीणा देवी का 100 रुपया और 20 किलो तोरी और 20 किलो चना चंदन और रौशन ले लिया। आज न्यायालय में मुदालह शत्रुधन चौधरी खड़ा है और अन्य को पहचानता हूँ। **साक्षी ने आरोप पूर्व प्रतिपरीक्षण** में साक्ष्य दिया है कि डेढ़ साल घटना के हो गये किन्तु दिन तारीख महीना याद नहीं है। मुदालह हेमो देवी ने सुरेश चौधरी वगैरह के विरूद्ध मारपीट का मुकदमा पहले कर चुकी है। **साक्षी ने आरोप पश्चात् प्रतिपरीक्षण** में साक्ष्य दिया है कि वीणा देवी पति सुरेश चौधरी मेरे ग्रामीण है। दोनों पक्षों में जमीनी विवाद है। विवादित जमीन का खाता, खेसरा, रकवा नहीं बता सकते है। जमीन खतियानी है। कथित घटना का तारीख, दिन, महीना नहीं बता सकते है। मैंने झगड़ा होते हुए देखा। कौन, कितना, किसको मारा और किस हथियार से मारा नहीं बता सकते है। अनिल और रौशन तोड़ी ले गया, जो बोरा में 20–20 किलो था। मैंने अंदाज से बताया है। दोनों अलग–अलग बोरा में था। दोनों बोरा प्लास्टिक का था, एक बोरा उजला रंग और एक बोरा पीला रंग का था। मुदालह लोग भी हमलोगों के उपर केश किये थे। उस केश में मैं भी मुदालह हूँ।

11. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि इस वाद में परिवादी की ओर से कुल तीन साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें साक्षियों द्वारा परिवादी के परिवाद पत्र का समर्थन किया गया है, परंतु प्रतिपरीक्षण में उनके द्वारा कहा गया है कि उभय पक्षों के बीच जमीन का विवाद है एवं चोरी की घटना के सम्बन्ध में साक्षियों के बीच विरोधाभाष है जिसका लाभ बचाव पक्ष को मिलना चाहिए। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है। इसलिए अभियुक्तों को आरोपों से मुक्त कर रिहा किया जाए।

12. परिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि परिवादी स्वयं तथा अपने तरफ दो अन्य साक्षियों को साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया। सभी साक्षियों ने अपने साक्ष्य में घटना का पूर्ण समर्थन करते हुए यह कहा है कि मुदालहगण के साथ जमीनी विवाद है जिसके कारण यह मारपीट की घटना घटी है। अतः अभियुक्तगण सजा पाने के अधिकारी हैं।

13. उभय पक्षों का बहस सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी की ओर से मात्र तीन साक्षियों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। सभी साक्षियों द्वारा घटना का अंशतः समर्थन किया गया है। जबकि चोरी की घटना के संबंध में साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभाष है जबकि मारपीट के घटना के संबंध में सभी साक्षियों ने पूर्णतः समर्थन किया है, जिसके आधार पर अभियुक्त **शत्रुधन चौधरी, हेमो देवी, रौशन चौधरी, चंदन चौधरी एवं अनिल चौधरी** के विरूद्ध

धारा 323 भा.द.वि. के तहत आरोप सिद्ध होते हैं। अतः अभियुक्त **शत्रुधन चौधरी, हेमो देवी, रौशन चौधरी, चंदन चौधरी एवं अनिल चौधरी** को धारा 323 भा.द.वि. के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

(लेखापित)

(विजय कुमार मिश्रा)
अ. मु. न्या. दण्डा.–प्रथम
बिरौल
दिनांक 17.08.2026

<u>सजा के बिंदु पर सुनवाई</u>

14. उभय पक्षों के विद्वान को सजा के बिंदु पर सुना गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि घटना लगभग 07 वर्ष पुराना है, अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण एक मात्र अपने परिवार का जीविका का साधन है। ऐसे में अभियुक्तगण को अपराधी परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना चाहिए। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधिकतम सजा की मांग की गयी, जिससे कि समाज में भय व्याप्त हो।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि परिवादी, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में अंशतः सफल हुआ है।

अतः अभियुक्त **शत्रुधन चौधरी, हेमो देवी, रौशन चौधरी, चंदन चौधरी एवं अनिल चौधरी** को धारा 3 परीविक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए भर्त्सना कर मुक्त करने का आदेश देती है तथा उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्तगण को उपलब्ध कराये।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(विजय कुमार मिश्रा)
अ. मु. न्या. दण्डा.–प्रथम
बिरौल।
दिनांक– 17.08.2026

(लेखापित)

(विजय कुमार मिश्रा)
अ. मु. न्या. दण्डा.–प्रथम
बिरौल।
दिनांक– 17.08.2026